

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103001352015

व्यवहार वाद क्र.-26ए/2017

संस्थापित दिनांक-03.07.2015

1.विश्रामसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह यादव आयु 45 वर्ष 2.फूलसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह यादव आयु 40 वर्ष व्यवसाय खेती निवासीगण ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	वादीगण
विरुद्ध	
1.रामसिंह पुत्र भंवरसिंह यादव आयु 80 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) 2.चन्दनसिंह पुत्र भंवरसिंह यादव आयु 70 वर्ष व्यवसाय नौकरी निवासी ग्राम चकेरी हाल निवास उज्जैन (म0प्र0) 3.बृजभानसिंह पुत्र रामसिंह यादव आयु 45 वर्ष 4.राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह यादव आयु 40 वर्ष 5.करतारसिंह पुत्र रामसिंह यादव आयु 35 वर्ष 6.कपूरसिंह पुत्र कृपालसिंह यादव आयु 35 वर्ष व्यवसाय खेती निवासीगण ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) 7.इन्दरसिंह पुत्र कृपालसिंह यादव आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम चकेरी हाल निवास उज्जैन (म0प्र0) 8.महेन्द्रसिंह पुत्र कमलसिंह यादव आयु 38 वर्ष 9.सुरेन्द्रसिंह पुत्र उदयभानसिंह यादव आयु 33 वर्ष 10.जितेन्द्रसिंह यपुत्र रतिभानसिंह यादव आयु 30 वर्ष	

11.धर्मेन्द्रसिंह पुत्र जीवनसिंह यादव आयु 28 वर्ष निवासीगण ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
12.संजय सर्राफ पुत्र स्व0 गेंदालाल सर्राफ जैन आयु 45 वर्ष निवासी बसंत की गली चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
13.निर्मलकुमार पुत्र पूनमचंद जैन आयु 75 वर्ष व्यवसाय दुकानदारी निवासी चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
प्रतिवादीगण
14.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलैक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0)
15.शासन द्वारा पटवारी, पटवारी ग्राम मौजा चकेरी, घोसीढाना तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
फोरमल प्रतिवादी
वादीगण द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता । प्रतिवादी क्र. 1,3 से 5 द्वारा श्री पठान अधिवक्ता । प्रतिवादी क्र. 2,6,7,12 द्वारा श्री योगेन्द्र जैन अधिवक्ता । प्रतिवादी क्र. 8 से 11 द्वारा श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 12.01.2018 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र. 177, रकवा 5.257 हेक्टेयर के वादपत्र अनुसार अ,ब,स,द, भाग एवं ग्राम घोसीढाना तहसील चंदेरी स्थित सर्वे भूमि क्र. 47 रकवा 1.557 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) का स्वत्वाधिकारी घोषित किये जाने एवं उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित कराने तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि वर्तमान में वटांकित होकर 177/2/1, 177/2/2, 177/1/3, 177/1/2 एवं 177/2/3, में दर्ज है। वादीगण के अनुसार ग्राम घोसीढाना स्थित भूमि सर्वे क्र. 47 वर्तमान में 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम, 2/6 हिस्सा पर रामसिंह, चंदनसिंह के नाम एवं 1/6 हिस्सा कपूरसिंह, इंदरसिंह के नाम अंकित है। वादीगण के अनुसार सर्वे क्र. 177 का वह भाग जो वादपत्र के साथ सलग्न नक्से में दर्शित किया गया है वादीगण के आधिपत्य का है तथा आपसी विभाजन में वादीगण को प्राप्त हुआ है। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि उनके बाबा सुमेरसिंह एवं रामसिंह के पिता भंवरसिंह आपस में भाई थे और दोनों की संयुक्त संपत्ति थी तथा दोनों के मध्य आपसी विभाजन मौखिकरूप से भूमियों का हो गया था जिसमें से सर्वे क्र. 47 जो ग्राम घोसीढाना में स्थित है का संपूर्ण भाग सुमेरसिंह को प्राप्त हुआ था तथा ग्राम चकेरी स्थित सर्वे क्र. 177 में से 0.627 हेक्टेयर सुमेरसिंह को प्राप्त हुई थी।

04. वादीगण के अनुसार सुमेरसिंह के एक ही पुत्र जगन्नाथसिंह थे जो कि वादीगण के पिता थे तथा उक्त विवादित भूमि सर्वे क्र. 177 में से सह खातेदारों ने कुछ रकवा निर्मलकुमार एवं गेंदालाल को विक्रय कर दिया था तथा कुछ रकवा प्रतिवादी क्र. 08 लगायत 11 को विक्रय कर दिया था। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी क्र. 01 लगायत 07 ने विवादित भूमि का विधि विरुद्ध वटांकन अंकित करा दिया। वादीगण के अनुसार वटांकन मनमाने तरीके से कराई है तथा अक्स में लाल स्याही से चिह्नित भाग पर वादीगण पिता के पूर्वजों के समय ये काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि उनका 40 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और इस आधार पर प्रतिवादी क्र. 01 लगायत 07 का कब्जा समाप्त हो चुका है। वादीगण के अनुसार ग्राम घोसीढाना

स्थित सर्वे क्र. 47 पर भी उनका 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है और इस प्रकार वादीगण को उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते हैं तथा उनके स्वत्व को नकारते हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने उनके वाद को स्वीकार कर इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जाए तथा यह घोषित किया जावे कि वे उक्त विवादित भूमि में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

05. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादी क्र.1,3 लगायत 5 द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण को कभी आपसी विभाजन में प्राप्त नहीं हुई और न ही उनका संलग्न मानचित्र अनुसार विवादित भूमि पर कभी कब्जा था। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण ने अकारण वाद परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 2,6 एवं 7 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है तथा वादीगण के वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्र. 08 लगायत 11 द्वारा भी वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी क्र. 12 ने भी वादीगण के वाद को स्वीकार किया है।

06. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 177 रकबा 5.257 हेक्टेयर में से वादपत्र के साथ संलग्न नक्से में चिन्हित अ,ब,स,द कब्जे अनुसार वादीगण के स्वत्व की है ?	नहीं ।
02.	क्या ग्राम घोसीढाना तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 47 रकबा 1.557 हेक्टेयर वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	नहीं ।
03.	क्या वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी है ?	नहीं ।
04.	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	नहीं ।
05.	क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है ?	हाँ
06.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	हाँ
07.	क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों का दोष है ?	नहीं ।
08.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 विश्रामसिह, वा.सा.2 कमलसिह, वा.सा.3 पुरुषोत्तम, की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगायत प्र0पी015 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 चंदनसिह, प्र.सा.2 कपूरसिह, प्र.सा.3 धमेन्द्रसिह, प्र.सा.4 रामसिह एवं प्र.सा.5 बृजभान की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 लगायत प्र0डी013 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

08. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 05,06,07 एवं ,08 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

--:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 04 ::--

09. वा.सा. 01 विश्रामसिह ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उनके बाबा सुमेरसिह को वाहमी वटवारा मे प्राप्त हुई थी तथा उक्त साक्षी के अनुसार शासकीय रिकार्ड नक्सा एवं खसरे में गलत वटा अंकित करा लिया गया है तथा वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्से में अ,ब,स,द, भाग पर दोनो भाईयों का कब्जा है और वे खेती कर रहे है। अपने प्रतिपरीक्षण मे उक्त साक्षी का कहना है कि उक्त विवादित भूमि लगभग 40-42 वर्ष पहले उनके बब्बा अर्थात दादा को वटवारें मे मिली थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर 40 वर्षों से उनका कब्जा चला आ रहा है। वा.सा.2 कमलसिह एवं वा.सा.3 पुरुषोत्तम ने भी अपने मुख्य परीक्षण मे एक समान कथन किये है। उक्त साक्षीगण के अनुसार वे

वादीगण को एवं प्रतिवादीगण को जानते हैं तथा उनके अनुसार उक्त विवादित भूमि वादीगण के हिस्से की भूमि है। वा.सा.2 ने इस बात को स्वीकार किया है कि सर्वे क्र. 177 राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से दर्ज नहीं है। इसी प्रकार वा.सा.2 ने अपने कथन में बताया है कि वह नहीं बता सकता कि सर्वे क्र. 177 एवं सर्वे क्र. 47 राजस्व अभिलेख में किसके नाम से दर्ज है। उक्त साक्षी के अनुसार वह यह भी नहीं बता सकता कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच नक्से के संबंध में कोई विवाद है।

10. उल्लेखनीय है कि प्र.सा.1 चंदनसिंह, प्र.सा.2 कपूरसिंह तथा प्र.सा.3 धमेन्द्रसिंह ने वादीगण के अनुसार ही कथन किया है और तीनों साक्षीगण वे प्रतिवादी हैं जिन्होंने वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। प्र.सा. 1 लगायत प्र. सा.3 ने अपने कथनों में वादीगण के अनुसार कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि वादीगण को वटवारों में प्राप्त हुई थी। प्र.सा.5 बृजभानसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसे रकवा एवं सर्वे क्रमांक की जानकारी नहीं है क्योंकि वह पढा लिखा नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता ने छह वर्ष पूर्व उसे वटवारों में डेढ़ बीघा भूमि दी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह नहीं बता सकता कि वह किस सर्वे नंबर पर काबिज है। उक्त साक्षी के अनुसार यदि वादीगण उनकी भूमि छोड़ दें तो विवाद खत्म हो जाएगा।

11. प्र.सा.4 रामसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह भी पढा लिखा नहीं है तथा सर्वे क्रमांक, रकवा आदि नहीं बता सकता। उक्त साक्षी के अनुसार उनके भाई सुमेरसिंह का कभी कोई घरेलू वटवारा नहीं हुआ तथा सहमति से शासकीय वटवारा हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार वह अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा वादीगण अपने भूमि पर खेती कर रहे हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कोई गलत वटवारा नहीं करवाया है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इंकार किया है कि वादीगण पहले खेती करते थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसका

विवादित भूमि के संबंध में कोई वटवारा हुआ या नहीं उसे जानकारी नहीं है।

12. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण अपने वादपत्र के अनुसार अपने कथनों पर तटस्थ रहें हैं और इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी अपने जबाब के अनुसार अपने कथनों पर तटस्थ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वे प्रतिवादीगण जिनके द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है, उन्होंने भी अपने जबाब के अनुसार ही कथन किया है। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के कथनों में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वादीगण उपरोक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र कथनों के आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष दे देना समीचीन नहीं है। अतः इस संबंध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना के उपरांत ही यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं या नहीं।

13. वादीगण ने उक्त विवादित भूमि से संबंधित खसरा प्र0पी01, अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से यह संभव नहीं है कि यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं, क्योंकि उक्त विवादित भूमि पर वादीगण या उसके पिता का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज होना दर्शित नहीं हो रहा है, यही स्थिति प्र0पी02 लगायत प्र0पी09 के खसरों की है। एक भी खसरे में वादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज होना दर्शित नहीं हो रहा है। उपरोक्त खसरों के अतिरिक्त प्र0पी010, प्र0पी011, प्र0पी012 एवं प्र0पी013 के खसरों में भी यही स्थिति है। मात्र प्र0पी014 एवं प्र0पी015 के खसरों में वादीगण के पिता एवं वादीगण का नाम सर्वे क्रमांक 47 में दर्ज होना दर्शित हो रहा है किंतु उनके साथ-साथ प्रतिवादीगण का नाम भी उपरोक्त खसरों में दर्ज होना दर्शित हो रहा है। उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त वादीगण ने अन्य कोई

दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। किसी भी प्रकरण में वादीगण के अपना वाद प्रमाणित करने का भार होता है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण के अनुसार वे उक्त विवादित भूमि में से सर्वे क्र. 177 के अ,ब,स,द, भाग के भूमि स्वामी है तथा सर्वे क्र. 47 के संपूर्ण वाद के वह भूमि स्वामी है। वादीगण की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं उनके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि वादीगण ने सर्वे क्रमांक 177 के संबंध में कोई नक्सा अक्स अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि वादीगण द्वारा बताया गया अ,ब,स,द, भाग स्पष्ट हो सके। वादीगण ने अ, ब,स,द, भाग के संबंध में ऐसा कोई स्पष्ट सीमांकन दस्तावेज भी अभिलेख न तो प्रस्तुत किया है और न ही प्रमाणित कराया है। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं उनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वे उक्त विवादित भूमि में से सर्वे क्रमांक 177 के अ,ब,स,द भाग के स्वत्वाधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि वादीगण को अपना वाद प्रमाणित करने का भार होता है तथा वे प्रतिवादीगण की कमियों का लाभ नहीं ले सकते। जहां तक सर्वे क्रमांक 47 का प्रश्न है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रकट हो रहा है कि वादीगण उक्त सर्वे के संपूर्ण भाग के स्वत्वाधिकारी नहीं हैं। उक्त सर्वे पर वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादीगण का नाम भी कब्जेदार के रूप में दर्ज है।

15. वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि उक्त विवादित भूमि आपसी वटवारों में उनके दादा को प्राप्त हुई थी किंतु वादीगण अपने साक्ष्य के माध्यम से सर्वप्रथम यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं कि उक्त विवादित भूमि संयुक्त हिंदु परिवार की भूमि थी तथा यह भी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि उक्त विवादित भूमि का कोई वटवारा हुआ था। उल्लेखनीय है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 2,6 व 7 ने एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत

आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.स. पूर्व में प्रस्तुत किया था किंतु मात्र उपरोक्त राजीनामा आवेदन के अनुसार वादीगण को उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता एवं उक्त विवेचन के प्रकाश में उक्त राजीनामा आवेदन पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे कि वे उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं, और इस प्रकार वे उक्त विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं और न ही अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.-05 ::—

16. वादीगण का प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने अपने वादपत्र के माध्यम से जो अनुतोष चाहा है। उसके अनुसार वादीगण का वाद नियमानुसार इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद सुनने का अधिकार नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 05 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-06 ::—

17. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया है। वादीगण ने जो न्यायशुल्क चशपा किया है कि वह न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत चशपा किया है। वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क चशपा किया गया है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 07 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्र. 07 ::—

18. वादीगण प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकारों को प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को समायोजित नहीं किया गया है। परिणामतः प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों का दोष नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 07 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्र. 08 ::—

19. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सब्यय निरस्त किया जाता है।

20. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(ज़फर इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फर इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर